

फर्द असफल

उपनगर कालिदास जिला रायपुर

खानाखाना नाम बनी नारायण

332/2019

दिनांक

दिनांक आदि
को संदर्भित

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

29/1/24

पत्रावली पेश हुई अधिकांश रूप मात्र
किसी भी प्रकार का प्रमाण नहीं है
इसलिए प्रमाणित नहीं है

5/1/24

5/1/24

पत्रावली पेश हुई अधिकांश रूप मात्र
किसी भी प्रकार का प्रमाण नहीं है
इसलिए प्रमाणित नहीं है

9/1/24

26/3/24

पत्रावली वादी द्वारा पेश की गई प्रमाण पत्र पेश होने पर आज पेश हुई।
उक्त पत्रावली में आगामी पेशी 05/04/24
निश्चित थी। वादी व वादी वकील श्री-
रमाशंकर शर्मा उपस्थित। वादी की
पटव्याज उनके वकील ने की और
आदेशिका पर हस्ताक्षर किए। वकील
वादी ने प्रस्तुत प्रमाण पत्र में अंकित
किताब कि वादी उक्त वाद को अंकित
व लागू नहीं करता है कि विद्रा
प्रमाण पत्र को स्वीकार कर वाद को
अपेक्षा निरस्त करने का निर्णय किया है।

वकील वादी को सुनने व पत्रावली
का किरलोफन करने पर प्रस्तुत प्रमाण
पत्र को विद्रा करने की अनुमति प्रदान
की जाती है। तथा वाद को हामी
रूप पर स्वीकार किया जाता है।
पत्रावली केवल सुनने के लिए
है कि वाद को अंकित वाद को

Identified by
26/3/24

अधीकार
आगामी